

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

पत्रांक-8/सू0अ0-10-25/2011सा0प्र0 13796

दिनांक- 19.12.2011

प्रेषक,

नवीन चन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव ।
सभी विभागाध्यक्ष ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:-

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 1/18/2011-आई0आर0 दिनांक 16.09.2011 की छाया प्रति (अंग्रेजी अनुवाद सहित) संलग्न करत हुए निदेशानुसार कहना है कि सूचना का अधिकार के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश से अधीनस्थों को कृपया अवगत कराने की कृपा की जाय ।

अनु0-

यथोपरि ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापांक- सू0ज0को0(सू0)-09/2011

131

/खाद्य/पटना, दिनांक

9/11/2012

प्रतिलिपि जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11/11/2012

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-
लोक सूचना पदाधिकारी ।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
बिहार, पटना ।

सूचना
का अधिकार
प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन

No.1/18/2011-IR
Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated: the 16th September, 2011

JS (SP)
Principal
2
J.S.(8)
A

Subject: Observation of Hon'ble Supreme Court on Right to Information Act, 2005 in Civil Appeal no.6454 of 2011, arising out of SLP [C] No.7526/2009 in the case of Central Board of Secondary Education & Anr. Vs. Aditya Bandopadhyay & Ors.

1662
19/10/11

The undersigned is directed to invite attention to this Department's O.M. No.1/4/2009-IR dated 05.10.2009 whereby a Guide on the Right to Information Act, 2005 was circulated. Para 10 of Part I of the Guide, inter alia, stated that 'only such information can be supplied under the Act which already exists and is held by the public authority or held under the control of the public authority. The Public Information Officer is not supposed to create information; or to interpret information; or to solve the problems raised by the applicants; or to furnish replies to hypothetical questions.' The same issue has been elaborated by the Supreme Court in the matter of Central Board of Secondary Education & Anr. Vs. Aditya Bandopadhyay & Ors. (Civil Appeal No.6454 of 2011) as follows:

5.0.8
21/X
श्री (समग्र)
सचिव
24-10-11
756
9-11-11

"At this juncture, it is necessary to clear some misconceptions about the RTI Act. The RTI Act provides access to all information *that is available and existing*. This is clear from a combined reading of section 3 and the definitions of 'information' and 'right to information' under clauses (f) and (j) of section 2 of the Act. If a public authority has any information in the form of data or analysed data, or abstracts, or statistics, an applicant may access such information, subject to the exemptions in section 8 of the Act. But where the information sought is not a part of the record of a public authority, and where such information is not required to be maintained under any law or the rules or regulations of the public authority, the Act does not cast an obligation upon the public authority, to collect or create such non available information and then furnish it to an applicant. A public authority is also not required to furnish information which require drawing of inferences and/or making of assumptions. It is also not required to provide 'advice' or 'opinion' to an applicant, nor required to obtain and

furnish any 'opinion' or 'advice' to an applicant. The reference to 'opinion' or 'advice' in the definition of 'information' in section 2(f) of the Act, on ' refers to such material available in the records of the public authority. Many public authorities have, as a public relation exercise, provide advice, guidance and opinion to the citizens. But that is purely voluntary and should not be confused with any obligation under the RTI Act."

3. This may be brought to the notice of all concerned.



(K.G. Verma)

Joint Secretary(RTI)

Tel: 23092158

1. All the Ministries / Departments of the Government of India
2. Union Public Service Commission/Lok Sabha Sectt./Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/Election Commission.
3. Central Information Commission/State Information Commissions.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi
5. O/o the Comptroller&Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. All officers/Desks/Sections, DOP&T and Department of Pension & Pensioners Welfare.

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs.

संख्या 1/18/2011-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 16 सितम्बर, 2011

विषय: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बन्धोपाध्याय और अन्य के मामले में एस.एल.पी.(सी) संख्या 7526/2009 से उद्भूत, सिविल अपील संख्या 6454/2011 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुपालन

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के कार्यालय जापन संख्या 1/4/2009-आई.आर. दिनांक 05.10.2009 की ओर ध्यान दिलाने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर एक मार्गदर्शिका परिचालित की गई थी। मार्गदर्शिका के भाग-1 के पैरा 10 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लिखित किया गया था कि मात्र ऐसी सूचना की ही इस अधिनियम के अंतर्गत आपूर्ति की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हो और लोक प्राधिकरण द्वारा धारित की गई हो अथवा लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण के अधीन धारित हो। लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने; अथवा सूचना की व्याख्या करने; अथवा आवेदकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को हल करने; अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की उम्मीद नहीं की जाती है। इसी मुद्दे को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बन्धोपाध्याय और अन्य (सिविल अपील संख्या 6454/2011) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा विस्तार दिया गया है जो निम्नानुसार है:

"इस मोड़ पर, यह आवश्यक है कि आर.टी.आई. अधिनियम के विषय में कुछ भ्रांतियों को स्पष्ट कर दिया जाए। आर.टी.आई. में सभी सूचना जो उपलब्ध और विद्यमान है तक पहुंच का प्रावधान है। यह अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) और (ज) के अंतर्गत 'सूचना' और 'सूचना का अधिकार' की परिभाषाओं और धारा 3 के सम्मिलित पठन से स्पष्ट है। यदि किसी लोक प्राधिकरण के पास कोई सूचना डाटा अथवा विश्लेषित डाटा, अथवा सारों, अथवा आंकड़ों के रूप में हो तो कोई आवेदक ऐसी सूचना तक अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का ध्यान रखते हुए पहुंच बना सकता है। किन्तु जहां सूचना किसी लोक प्राधिकरण के अभिलेख का कोई भाग नहीं है, और जहां ऐसी सूचना लोक प्राधिकरण के किसी कानून अथवा नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत बनाए रखी जानी अपेक्षित नहीं है, अधिनियम लोक प्राधिकरण पर ऐसी अनुपलब्ध सूचना को एकत्र करने अथवा मिलाने और तत्पश्चात् किसी आवेदक को इसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। किसी लोक प्राधिकरण से निकाले गए जिकालम और/अथवा